जिला सूचना कार्यालय हरिद्वार।
निकट देवपुरा चौक, पुरानी कचहरी, हरिद्वार।
E-mail: suchnaharidwar@gmail.comदूरभाष : 01334–226695, मोबाइलः 7055007017

दिनांक : 02.11.2017

प्रेस विज्ञप्ति

जिलाधिकारी दीपक रावत ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में विभिन्न औद्योगिक व कम्युनिकेशन संस्थानों के द्वारा संचार लाइनों को बिछाने के लिए रोड कंटिग की स्वीकृति प्रदान करने हेतु किये गये आवेदनों के सम्बंध में लोक निर्माण एवं वन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। डीएम ने इन विभागों को प्राप्त आवेदनों व दिये जाने वाले शुल्क की अद्यतन जानकारी लेते हुए शुल्क जमा करा देने वाले संस्थानों को दो सौ मीटर रोड कंटिग की स्वीकृति प्रदान किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कार्य के दौरान उक्त विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी संस्थान एक बार में दो सौ मीटर सड़क काटने के बाद तार डालने के बाद पहले उसे बंद करे उसके बाद आगे से सड़क काटी जाये ऐसा न करने वाले संस्थान की स्वीकृति को रोक दिया जायेगा।

जिन संस्थानों द्वारा केवल आवेदन किया गया है, लेकिन शुल्क जमा नहीं किया उनके आवेदनों को निरस्त करते हुए पुनः आवेदन करने के लिए कहा जाये। बिना शुल्क जमा किये किसी प्रकार की स्वीकृति प्रदान न की जाये।

जिला सूचना अधिकारी
हरिद्वार